

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2592  
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

जॉब कार्डों का निरस्तीकरण

2592. श्री के. सी. वेणुगोपाल:  
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:  
श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के अंतर्गत आधार लिंकिंग से जुड़ी विफलताओं के कारण वर्ष 2023 से कुल कितने जॉब कार्ड निरस्त किए गए हैं और उनका राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) मार्च 2025 तक मनरेगा योजना के अंतर्गत 30 दिनों से अधिक समय से लंबित मजदूरी की राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) मनरेगा के अंतर्गत कार्य की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अर्ध-ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**  
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत लाभार्थियों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या में बार-बार होने वाले बदलाव और उसके बाद उसे अद्यतन न करने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है। यह योजना के अंतर्गत मजदूरी भुगतान का एक तरीका है।

आधार को बैंक खातों से लिंक न करने के कारण जॉब कार्डों को हटाया नहीं जाता है।

योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सौंपी गई है। जॉब कार्ड का सत्यापन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। जॉब कार्डों को हटाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 25.01.2025 के पत्र के माध्यम से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें जॉब कार्डों को हटाने और बहाल करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं। एसओपी महात्मा गांधी नरेगा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, नाम हटाने के लिए शर्तें निर्धारित करके श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करता है, तथा नाम हटाने/रद्द करने से पहले लंबित देनदारियों, यदि कोई हो, का निपटान सुनिश्चित करता है। एसओपी में उचित प्रक्रिया के महत्व पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें विलोपन हेतु चिह्नित जॉब कार्डों की मसौदा सूची का प्रकाशन, ग्राम सभाओं में सत्यापन और प्रभावित श्रमिकों के लिए अपील का अधिकार शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य जॉब कार्डों के दुरुपयोग को रोकना है और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक लाभार्थी वंचित न रहें। मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा योजना की सत्यनिष्ठा बनाए रखने और इस योजना का लाभ पात्र ग्रामीण परिवारों तक पहुँचे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्रालय इसके कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करता है और श्रमिकों को उनके अधिकार प्राप्त करने में आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करने के लिए आवश्यक उपाय करता है। जब भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या किसी अन्य हितधारक द्वारा कोई समस्या उठाई जाती है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है।

(ख): इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक निरंतर प्रक्रिया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है।

वर्तमान वित्त वर्ष में (30.07.2025 तक की स्थिति अनुसार), राज्यों को 48,782.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 की 100% लंबित मजदूरी देनदारियाँ शामिल हैं। चूँकि मंत्रालय द्वारा पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से प्रतिदिन मजदूरी भुगतान की स्वीकृति जारी की जाती है, इसलिए राज्यों से उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद निधि हस्तांतरण आदेश प्राप्त होने के बाद, निधि जारी करने की स्थिति दैनिक आधार पर अद्यतन होती रहती है।

दिनांक 30.07.2025 तक की स्थिति अनुसार योजना के अंतर्गत मजदूरी घटक के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

**(ग) और (घ) :** ग्रामीण विकास मंत्रालय जमीनी स्तर पर रोज़गार की माँग पर सूक्ष्म नज़र रखता है और आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की माँग करता है। निधियां जारी करना एक निरंतर प्रक्रिया है और भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत रोज़गार की वास्तविक माँग के अनुसार निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2025-26 के दौरान (30.07.2025 तक की स्थिति अनुसार) योजना के अंतर्गत रोज़गार की माँग करने वाले पात्र ग्रामीण परिवारों में से 99.79% को रोज़गार की पेशकश की गई है, जो प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करने के लिए , भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में "उन्नति परियोजना" शुरू की। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करके , इस परियोजना का उद्देश्य उनकी आजीविका में सुधार करना है , ताकि वे स्वरोजगार या वेतन आधारित रोजगार के माध्यम से वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्णकालिक रोजगार की ओर बढ़ सकें। इस परियोजना का उद्देश्य 2 लाख महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना है। 31 मार्च 2025 तक कुल 90,894 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2592 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 30.07.2025 तक की स्थिति अनुसार योजना के अंतर्गत मजदूरी घटक हेतु लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (करोड़ रुपये में)		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मजदूरी घटक के लिए लंबित देनदारियां
1	आंध्र प्रदेश	1703.07
2	अरुणाचल प्रदेश	1.47
3	असम	73.02
4	बिहार	907.02
5	छत्तीसगढ़	11.85
6	गोवा	0.39
7	गुजरात	3.88
8	हरियाणा	14.98
9	हिमाचल प्रदेश	1.54
10	झारखंड	50.49
11	कर्नाटक	105.72
12	केरल	298.15
13	मध्य प्रदेश	201.54
14	महाराष्ट्र	225.58
15	मणिपुर	2.75
16	मेघालय	8.19
17	मिजोरम	1.45
18	नागालैंड	1.04
19	ओडिशा	22.72

20	पंजाब	78.09
21	राजस्थान	313.68
22	सिक्किम	0.34
23	तमिलनाडु	301.71
24	तेलंगाना	460.14
25	त्रिपुरा	3.44
26	उत्तर प्रदेश	743.40
27	उत्तराखंड	3.84
28	पश्चिम बंगाल	3038*
29	अंडमान और निकोबार	0.00
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00
31	जम्मू एवं कश्मीर	13.12
32	लद्दाख	0.40
33	लक्षद्वीप	0.00
34	पुदुचेरी	12.93

नोट: पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर , किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मामले में मजदूरी घटक के लिए पिछले वर्षों की कोई देनदारियां लंबित नहीं है।

#पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में लंबित देनदारियों में मजदूरी , सामग्री और प्रशासनिक घटक शामिल हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार , पश्चिम बंगाल राज्य को 9 मार्च, 2022 से निधि जारी करना बंद कर दिया गया है।